

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)
-: शुद्धि-पत्र :-

शुद्धि पत्र संख्या 632/भू अ०

दिनांक-5/7/18

जसीडीह-बैद्यनाथधाम स्टेशन के बीच लेवल कॉसिंग 04/E -(सतसंग नगर) के स्थान पर पथ उपरी पुल (ROB) निर्माण परियोजना हेतु ग्राम-मदारीचक, थाना-देवघर, थाना संख्या-256, अंचल-देवघर, जिला-देवघर के कुल रकवा-13105 वर्गफीट भूमि अधिग्रहण करने हेतु अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) का प्रकाशन दैनिक जागरण एवं इंडियन पंच में क्रमशः दिनांक-06.11.2017 एवं दिनांक-12.11.2017 को प्रकाशित हुआ है जिसका PR-173405 (Deoghar)17-18 एवं अधिनियम की धारा-19(1) के अधीन अधिघोषणा का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर में दिनांक-3.2.2018 को प्रकाशित हुआ का PR-178240(District) 17-18 है। प्रकाशित अधिसूचना एवं अधिघोषणा के क्रमांक-02 में टंकित त्रुटी के कारण स्वामित्व के प्रकार-बसौड़ी एवं भूमि का प्रकार मकान में सहन दर्ज हो गया है, जिसे स्वामित्व के प्रकार-रैयती एवं भूमि का प्रकार-बाड़ी-02 पढ़ा जाय। इसके अतिरिक्त निर्गत अधिसूचना एवं अधिघोषणा की अन्य सभी विवरणी यथावत रहेगी।



समाहर्ता-सह-उपायुक्त
देवघर।

ज्ञापांक 633/ भू अ०, देवघर, दिनांक 5/7/18

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला अवर निबंधक, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।



समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।